बिहार सरकार

कृषि वानिकी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

1. वन प्रमंडल का नाम :- ..... 2. जिला का नाम :-.....
3. वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :- ..... 4. प्रखंड का नाम :-.....
5. आवेदक का नाम :-.....
6. पिता/पति का नाम :-.....
7. पेशा :-..... 8. जन्म तिथि :-.....
9. स्थायी पता :- .....
10. वर्त्तमान पत्रचार का पता :- .....
    दूरभाष/मोबाईल नं0..... 11. ई-मेल (यदि हो) :- .....
12. भूमि का विवरण :-
13. समूह में आवेदन करने पर भूमि की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)
14. प्रस्तावित वृक्षारोपण (कृपया √ करें)
    (क) फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर)
    (ख) कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर)
15. इच्छित प्रजाति का नाम लिखें।

16. बैंक खाता विवरणी :

17. घोषणा : मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता/चाहती हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेवारी लेता/लेती हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा तूफान में गिरने/सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूँगा/करूँगी।

संलग्न अभिलेख की विवरण

1.
2.
3.

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
(तिथि के साथ)

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

योजना में सम्मिलित होने हेतु संपर्क करें

Website : www.forest.bih.nic.in
App : van Mitra
E-mail : hariyalimission@gmail.com
forestbihar@gmail.com, efd-bih@nic.in
Facebook Page : Dept. of Environment, Forest & Climate Change Govt. of Bihar

Diksha Art & Prints
+91 9431436534
dikshaart2013@gmail.com

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- **जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत एक दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम**
- जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बिहार पृथ्वी दिवस (दिनांक 09 अगस्त, 2020) के अवसर पर पूरे राज्य में 2. 51 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु उक्त दिवस पर जनता की सहभागिता आवश्यक है।
- विभाग द्वारा पूर्व से कई स्थलों को चिह्नित किया गया है। अनुरोध है कि पंचायत, शहरी निकाय, विभिन्न सरकारी-गैर सरकारी परिसर, रेलवे की भूमि, सेना, पैरा मिलिट्री परिसर, एनसीसी, शैक्षणिक परिसर, निजी परिसर तथा अन्य संभावित स्थलों पर स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उक्त दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कर इस महत्ती लक्ष्य की प्राप्ति में सहभागी बनें।
- पौधारोपण हेतु निकटवर्ती पौधशाला से पौधों की प्राप्ति की जा सकती है।

मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला (अन्य प्रजाति) योजना

- जीविका समूह या इसके सदस्य/प्रगतिशील कृषकों के माधयम से वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु पौधाशाला स्थापित कर अलग-अलग प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता के ज्यादा संख्या में पौधे तैयार किये जाते हैं।
- इस योजना से प्रदेश के कृषकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।
- इस वर्ष से योजना का विस्तार राज्य के प्रत्येक प्रखंड स्तर तक किया गया है।
- पौधों के लिए कुल राशि (औसत रु0 11.00 प्रति पौधा) का भुगतान दो किस्तों में किया जाता है।
- योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की अपने नाम से या लीज पर समतल, ऊँची तथा जल-जमाव मुक्त जमीन एवं उसमें 100 मीटर के दायरे में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए।

कृषि वानिकी-अन्य प्रजाति योजना

- मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला (अन्य प्रजाति) योजना में तैयार किये गये एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के 3 फीट अथवा उससे बड़े पौधों को राज्य के कृषकों को उनके खेतों में कृषि फसल के साथ रोपित करने हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना से राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो रहा है।
- सभी पौधा स्थानीय विभागीय पौधाशालाओं से 10/- रू0 प्रति पौधो की दर से सुरक्षित मूल्य प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रति कृषक न्यूनतम 25 पौधो उपलब्ध कराये जाते हैं। तीन वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीवितता होने पर 60/- रू0 प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी तथा पूर्व में जमा सुरक्षित मूल्य 10/- रू0 भी अलग से कृषक बंधु को लौटा दिया जायेगा। किसानबंधु अपनी आवश्यकतानुसार तथा जमीन की उपलब्धता के अनुसार पौधे लगा सकते है।
- कृषकों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी दी जाती है। परिपक्व पौधों पर किसान बंधुओं का संपूर्ण अधिकार होता है।
- योजना के अन्तर्गत तीन वर्षो के उपरान्त उत्तरजीवित्ता।

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई० टी० पी०) योजना

- इस योजना में शामिल होने वाले लाभुकों/कृषकों को पॉप्लर के पौधों 10/- रू0 प्रति पौधो की दर से सुरक्षित मूल्य लेकर उपलब्धा कराये जायेंगे। इससे पॉप्लर के वृक्ष तैयार होंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी दी जाती है।
- इन पौधों के बड़ा होने पर इससे होने वाली संपूर्ण आय पर शत्-प्रतिशत अधिकार किसान बंधुओं का ही होगा।
- तीन वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीवितता होने पर 60/- रू0 प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी तथा पूर्व में जमा सुरक्षित मूल्य 10/- रू0 भी अलग से कृषक बंधु को लौटा दिया जायेगा। वृक्षारोपण पूरे खेत में 3 मी0 x 4 मी0 या 3 मी0 x 3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेड़ पर लगाये जा सकते है।

यह योजना में उत्तर बिहार के सभी जिले शामिल है।

मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला (पॉप्लर प्रजाति) योजना

- इस योजना में कृषि वानिकी में पॉप्लर वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता के अनुरूप पौधे तैयार किये जाते हैं इससे ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होते हैं। चयनित किसानों को पॉप्लर के पौधों की कटिंग 10,000 (दस हजार) प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराया जायेगा।
- इसके लिए आवेदक की अपने नाम से या लीज पर (कम-से-कम तीन वर्ष तक के लिए) जमीन होनी चाहिए। जमीन पर सिंचाई की समुचित सुविधा होनी चाहिए।
- पूंजी के रूप में न्यूनतम 20,000/- (बीस हजार रूपये) प्रति एकड़ राशि बैंक मे जमा होना चाहिए।
- पौधाशाला आवंटन के लिए प्रति व्यक्ति जमीन की सीमा आधा एकड़ से तीन एकड़ है।
- किसानबंधु अपनी आवश्यकतानुसार तथा जमीन की उपलब्धता के अनुसार पौधें लगा सकते हैं।

इस योजना में उत्तर बिहार के सभी जिले शामिल है।

पौधारोपण हेतु दिशा-निर्देश

पौधारोपण से पूर्व स्थल को साफ कर लें। पौधारोपण स्थल जल-जमाव मुक्त होना चाहिए। उपलब्ध कराये जा रहे पौधों की प्रजातियों का रोपण एवं रख-रखाव निम्न प्रकार से करें:-

पौधों का चुनाव	स्वस्थ तथा रोग मुक्त पौधा का चुनाव करें। पौधा रोपण हेतु 4-5 फीट के पौधों का चुनाव करें।
पौधारोपण का समय	वर्षाकालीन पौधारोपण : जुलाई - अगस्त महीने में करें। वसंतकालीन पौधारोपण : फरवरी - मार्च महीने में करें।
गड्ढ़े की खुदाई	पौधारोपण के लिए 1.5 फीट x 1.5 फीट x 1.5 फीट आकार का गड्ढ़ा करें।
मिट्टी की तैयारी	मिट्टी, बालू तथा गोबर खाद का मिश्रण तैयार कर लें। (2:1:1) प्रति पौधा 10 ग्राम डी.ए.पी. पौधा लगाते समय मिट्टी में अच्छी तरह मिलावें। गड्ढ़े को 15-20 दिनों तक खुला छोड़ दें, तत्पश्चात् पौधारोपण करें।
पौधारोपण के लिए दूरी	4m X 4m (250 पौधा प्रति एकड़) मेड़ रोपण-एक से दूसरे पौधों की दूरी 8 से 10 फीट रखें ।
पौधारोपण	पौधों के पॉलीथिन बैग को सावधानी से निकालें, जिससे जड़ एवं मिट्टी को नुकसान ना हो तथा गड्ढ़े के बीच में सीधा पौधा रखें। मिट्टी के तैयार मिश्रण को अच्छी तरह भरकर दबा दें। मिट्टी का घेरा बनाकर पानी डालें।
छाजन	पेड़ के पास चारों तरफ से ऊपरी सतह पर छाजन करें। छाजन के लिए खरपतवार, पुआल, भूसा, पत्ता आदि का उपयोग कर सकते हैं।
सिंचाई प्रबंधान	माह जनवरी से अप्रैल- महीने में 4 बार । माह मई से जून-महीने में 5 बार । माह जुलाई से अक्टूबर-आवश्यकतानुसार। नये पौधें में गर्मी भर सप्ताह में एक बार, उसके बाद आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
खर पतवार नियंत्रण	पहला साल तीन बार पहली बार : जुलाई - अगस्त दूसरी बार : अगस्त - सितम्बर तीसरी बार : सितम्बर - अक्टूबर दूसरा साल :- दो बार पहली बार : जुलाई - अगस्त दूसरी बार : सितम्बर - अक्टूबर तीसरा साल :- एक बार साल में एक बार अगस्त महीने में।
खाद	खाद के रुप में वर्मीकम्पोस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वृद्धि के लिये मल्टीप्लेक्स 2-5 ग्राम 1ली0 पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। फफूंदीनाशक के रुप में डाइथेन एम 45-2.5 ग्राम 1ली0 पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। दीमकनाशक के रुप में क्लोरोपाइरीफॉस 2.5 मिली0 1ली0 पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें या चूने के घोल से वृक्ष के तने को रंग दें।
छटाई	पुरानी सूखी एवं रोग ग्रस्त टहनियों की कटाई-छँटाई करते रहें। शाखाओं/टहनियों के 1/3 भाग से अधिक की छँटाई कभी नहीं करें । छँटाई के लिए तेज कटर का इस्तेमाल करें।

Diksha Art & Prints
+91 9431436534
dikshart2013@gmail.com

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पौधारोपण हेतु दिशा निर्देश

योजना में सम्मिलित होने हेतु संपर्क करें

Website : www.forest.bih.nic.in
App : van Mitra
E-mail : hariyalimission@gmail.com
forestbihar@gmail.com, efd-bih@nic.in
Facebook Page : Dept. of Environment, Forest & Climate Change Govt. of Bihar

पौधा लगाने के साथ–साथ उसकी निगरानी/सुरक्षा सिंचाई, कोड़नी–निकौनी एवं बचाव भी आवश्यक है।

निगरानी/सुरक्षा : रोपण क्षेत्र के किसी भाग में जानवर भीतर नहीं आ सके, इसकी निगरानी होनी चाहिए।

सिंचाई : लगाये गये पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई आवश्यक है।

कोड़नी एवं निकौनी :

प्रथम कोड़नी–निकौनी पौधा लगाने के 15 से 20 दिनों के बाद किए जाऐं। निकौनी गीली मिट्टी में नही होगी। निकौनी करते समय पौधो के 3 फीट के Diameter में चारों ओर निकौनी करनी चाहिए एवं 1.5 फीट Diameter में कोड़नी करनी चाहिए।

प्रथम निकौनी के समय नेत्रजन कृत्रिम खाद दिया जाता है। खाद देने के लिए पौधो के चारों ओर तना से 10 से.मी. हटकर 5 से 10 से.मी. छोटी क्यारीनुमा नाली बनाकर उसमें खाद डाल कर पुन: मिट्टी से ढँक दी जाय। प्रथम निकौनी अगस्त में दूसरी निकौनी अक्टूबर में एवं तीसरी निकौनी यदि आवश्यक है तो जाड़े में वर्षा के तुरन्त बाद की जाय।

दूसरे वर्ष में प्रथम कोड़नी–निकौनी अगस्त में, दूसरी कोड़नी–निकौनी वर्षा के बाद तथा तीसरी कोड़नी निकौनी दिसम्बर/जनवरी में की जानी चाहिए। तीसरे वर्ष में प्रथम निकौनी अगस्त महीने में, दूसरी कोड़नी–निकौनी सितम्बर महीने में तथा तीसरी कोड़नी, निकौनी दिसम्बर/जनवरी में की जायेगी। पौधो में दूसरे और तीसरे वर्ष में भी निकौनी के साथ नेत्रजन एवं फॉस्फेट खाद का व्यवहार किया जायगा।

कोड़नी–निकौनी के समय मृत पौधों का बदलाव कार्य भी किया जाए तथा बदलाव किये जाने वाले पौधों की ऊँचाई वनरोपण के औसत पौधों की ऊँचाई के बराबर हो ताकि सभी पौधों की प्रगति एक समान हो।

खाद का व्यवहार

प्रथम वर्ष में प्रत्येक पौधो को कृत्रिम खाद DAP प्रति पौधा 10 ग्राम के दर से पौधा लगाते समय मिट्टी में अच्छी तरह मिलावें। अमोनियम सल्फेट या यूरिया प्रति पौधा 10 ग्राम रोपण के समय तथा 10 ग्राम प्रथम निकौनी के साथ दिया जाय। खाद देते समय ध्यान दें कि जमीन में नमी है।

कीड़ों से बचाव

शीशम, सागवान वगैरह के रुट–सूट या प्रजाति के पौधों पर दीमक का प्रकोप होता है। अत: पौधा रोपण के समय ही प्रति पौधा 5 ग्राम एलड्रिन पाउडर मिट्टी में मिला दें। थैले में उगाये पौधों के सुरक्षा हेतु थैलियों में मिट्टी भरते समय मिट्टी में एलड्रिन का व्यवहार किया जाना चाहिए। एलड्रिन पाउडर के स्थान पर अन्य कीटनाशक/फफूँदनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। नीम की खली उपलब्ध होने पर उसका उपयोग किया जाये।

खर–पतवार प्रबंधन

विगत समय में, विदेशों से कुछ पादप प्रजातियों का देश में वनस्पति के रूप में आयात किया गया। इससे रोपण स्थल की स्थानीय मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। गाजर घास (Parthenium spp.) तथा पुटूस इनमें से प्रमुख है। यह कृषि, वानिकी तथा जैव–विविधता संरक्षण क्षेत्रें के लिए विषाक्त हैं। लैंटेना के मुख्य तने को जड़ से उखाड़ना तथा उसे नष्ट करना आवश्यक है। इसी प्रकार, गाजर, घास के पौधों में भी फूल आने से पहले जड़ से उखाड़ देना चाहिए।

मुख्य तने की Chopping, Aerial Shoot की क्लीपिंग न कर पूरी तरह से अपरूटिंग की जानी चाहिए। इस कार्य को करने की एक विधि Cut Root Stock की है। इस विधि में पौधे के जड़ के पास लगभग 6' का गड्ढ़ा करके गर्मी के दिनों में जड़ को काटा जाता है। इसके लिए कुदाल या इस प्रकार के स्थानीय उपलब्ध औजारों जिनका हैंडिल लम्बा हो का प्रयोग किया जाता है। काटने के बाद पौधे को उल्टा कर दो सप्ताह तक पूरी तरह से सुखाया जाता है। सूखने के पश्चात् पौधे को उस क्षेत्र से हटा दिया जाए।

बेल

प्रभेद : बनारसी, मिर्जापुरी, नरेन्द्र बेल-4, 5, 7 और 9

लगाने की दूरी :

8 x 8 मी0

लगाने का समय :

जून-जुलाई

लगाने की विधि : 60 x 60 x 60से0मी0 के आकार के गड्ढ़े अप्रैल-मई में 8 मीटर x 8 मीटर की दूरी पर खोद लें, गड्ढ़े को 15-20 दिनों तक खुला छोड़ दें।

सिंचाई : लगाने के बाद 8 दिनों के अन्तराल पर 3-4 बार सिंचाई करें।

खाद : प्रति गड्ढ़ा सड़े गोबर की खाद 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलोग्राम एवं थिमेट 10 ग्राम मिट्टी में डालकर गड्ढ़े भर दें।

छटाई : फल होने के बाद छटाई करें।

सहजन

प्रभेद : पी. के. एम.-1, पी. के. एम.-2, कोयेंबटूर-1, कोयेंबटूर-2

लगाने की दूरी : 2.5 x 2. 5 मीटर

लगाने का समय :

जुलाई-सितम्बर

लगाने की विधि : 45 x 45 x 45 से.मी. आकार का गड्ढ़ा खोदें। गड्ढ़े के ऊपरी मिट्टी के साथ 10 किलाग्राम सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाकर गड्ढ़े को भर दें।

सिंचाई : अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना आवश्यक है। फूल लगने के समय जमीन ज्यादा सूखा या गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है।

खाद : रोपने के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके तीन महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुन: व्यवहार करें।

छटाई : फल होने के बाद छटाई करें।

लीची

प्रभेद:-शाही, पूर्वी, बेदाना, चाइना, कलकतिया, राजेन्द्र सबौर बेदाना, कसबा, इलाइची, सबौर मधु स्वर्ण रूपा, हाइब्रिड-235

लगाने की दूरी : 10 x 10 मीटर

लगाने का समय : जून-जुलाई

लगाने की विधि :- 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर आकार के गड्ढ़े खोदें। सड़े गोबर की खाद 40 किलोग्राम, नत्रजन 250 ग्राम, स्फूर 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 250 ग्राम एवं कीटनाशक थीमैट (3G) 10 ग्राम उपरी मिट्टी में मिलाकर अच्छी तरह मिट्टी में भरकर सिंचाई करें।

सिंचाई :- लीची के वृक्षों को अक्टूबर से फलने तक यानी मार्च के अन्त तक सिंचाई न दें। फल के दाने वृक्षों पर स्पष्ट रूप से दिखने लग जायें तब सिंचाई करें। अप्रैल-मई में प्रति सप्ताह सिंचाई अवश्य करें। फलों की तुड़ाई के पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।

खाद :- फलों की तुड़ाई के उपरान्त जून के अंत तक या जुलाई में खाद डालें। जैविक खादों का प्रयोग अति उत्तम पाया गया है। प्रति वर्ष प्रति वृक्ष 60-80 किलोग्राम कम्पोस्ट भी डालें।

छंटाई :- फल तुड़ाई के बाद शाखाओं की छटाई काफी जरूरी है जिसके फलस्वरूप अगले मौसम में फलदार शाखाएं विकसित होती है।

Diksha Art & Prints
+91 9431438534
dikshaart2013@gmail.com

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सामान्य फलदार/ उपयोगी पौधा रोपण विधि

सभी लाभार्थियों के लिए पौधारोपण एवं रख-रखाव विधि हेतु आवश्यक जानकारी

योजना में सम्मिलित होने हेतु संपर्क करें

Website : www.forest.bih.nic.in
App : van Mitra
E-mail : hariyalimission@gmail.com
forestbihar@gmail.com, efd-bih@nic.in
Facebook Page : Dept. of Environment, Forest & Climate Change Govt. of Bihar

सामान्य फलदार/उपयोगी पौधा रोपण विधि

आम

प्रभेद : दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, आम्रपाली, मल्लिका।

लगाने की दूरी : कलमी आम 10 x 10 मीटर

लगाने का समय : जून-जुलाई

लगाने की विधि : अप्रैल-मई में 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर का गडढ़ा खोदे। जून के आरम्भ में सड़े गोबर की खाद 40 किलोग्राम, नेत्रजन 250 ग्राम, स्फूर 200 ग्राम, म्यूरेट आफॅ पोटाश 250 ग्राम एवं कीटनाशक थीमैट (3G) 10 ग्राम ऊपरी मिट्टी में मिलाकर अच्छी तरह मिट्टी में भरकर सिंचाई करें।

सिंचाई : नये बागों में गर्मी भर सप्ताह में एक बार, उसके बाद आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

खाद : फलों की तुड़ाई के उपरांत या जुलाई में खाद डालें। यदि मिट्टी में बोरोन की कमी हो तो खाद एवं उर्वरक के साथ ही वृक्षों के विकास के अनुसार 30 ग्राम प्रति वृक्ष बोरेक्स (सुहागा) डालना चाहिए।

छँटाई : फलों की तुड़ाई के साथ ही पुरानी सूखी एवं रोग ग्रस्त टहनियों की कटाई-छटाई भी अवश्य करें।

अमरूद

प्रभेद : लखनऊ-49 (सरदार) इलाहाबाद, सफेदा, मृदुला।

लगाने की दूरी : 6 मीटर x 6 मीटर

लगाने का समय : जून-जुलाई

लगाने की विधि : 60 x 60 x 60 से0मी0 के आकार के गड्ढ़े अप्रैल-मई में 6 मीटर x 6 मीटर की दूरी पर खोद लें, गड्ढ़े को 15-20 दिनों तक खुला छोड़ दें।

सिंचाई : आवश्यकतानुसार करें।

खाद : प्रति गड्ढ़ा सड़े गोबर की खाद 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलोग्राम एवं थिमेट 10 ग्राम मिट्टी में डालकर गड्ढ़े भर दें।

आंवला

प्रभेद : बनारसी, कंचन, नरेन्द्र- 5, 7 व 10

लगाने की दूरी : 8 x 8मी0 (कलमी)

कलमी पौधों 8 से 8 मीटर की दूरी पर लगाये। दो कतारों के बीच में इतनी ही दूरी रखें।

लगाने का समय : जून-जुलाई

लगाने की विधि : 60 x 60 x 60 से0मी0 के आकार के गड्ढ़े अप्रैल-मई में 8 मीटर x 8 मीटर की दूरी पर गड्ढ़े खोद लें, गड्ढ़े को 15-20 दिनों तक खुला छोड़ दें।

सिंचाई : लगाने के बाद 8 दिनों के अन्तराल पर 3-4 बार सिंचाई करें।

खाद : प्रति गड्ढ़ा सड़े गोबर की खाद 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलोग्राम एवं थिमेट 10 ग्राम मिट्टी में डालकर गड्ढ़े भर दें।

नींबू

प्रभेद : कागजी नींबू, इन्दौर, ब्लडरेड।

लगाने की दूरी : 3 x 3 मीटर

लगाने का समय : जून-जुलाई

लगाने की विधि : अप्रैल, मई में 60 x 60 x 60 से0 मी0 आकार के गड्ढ़े 3 मीटर की दूरी पर खोंदे।

सिंचाई : लगाने के बाद 8 दिनों के अन्तराल पर 3-4 बार सिंचाई करें।

खाद : प्रति गड्ढ़ा सड़े गोबर की खाद 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलोग्राम एवं थिमेट 10 ग्राम मिट्टी में डालकर गड्ढ़े भर दें।

छंटाई : फल तुड़ाई के तुरंत बाद छंटाई की जानी चाहिए।

कटहल

प्रभेद :- रूद्राक्षी, खजवा, स्वर्ण पूर्त्ति, स्वर्ण मनोहर, सिंगापुरी।

लगाने की दूरी : 8 x 8मी0

लगाने का समय : जून - जुलाई

लगाने की विधि : 60 x 60 x 60 से0मी0 के आकार के गड्ढ़े अप्रैल-मई में 8 मीटर x 8 मीटर की दूरी पर खोद लें, गड्ढ़े को 15-20 दिनों तक खुला छोड़ दें।

सिंचाई : लगाने के बाद 8 दिनों के अन्तराल पर 3-4 बार सिंचाई करें।

खाद : प्रति गड्ढ़ा सड़े गोबर की खाद 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलोग्राम एवं थिमेट 10 ग्राम मिट्टी में डालकर गड्ढ़े भर दें।

छटाई : पौधों को उपयुक्त आकार देने के लिए समय-समय पर अवांछित प्ररोहों को हटा देना चाहिए।